

1- Main Attachments

Status of the main mandatory attached documents in the proposal sent online by -
Executive Engineer, Provincial Division, P.W.D., Almora.

(प्रस्ताव के साथ अपलोड किये गये संलग्नकों की स्थिति)

Name of the Project - प्रस्ताव का नाम - मो सु डे डी १०५/२०१४ के अन्तर्गत जनकपुर जिले के विस्तार के अन्तर्गत
रामपुर के अन्तर्गत डी १०५/२०१४ के अन्तर्गत

Sl. No.	Name of Document	Attached status		Page No.
		Yes	No	
1.1	Copy of documents in support of the competence/authority of the person making this application to make application on behalf of the User Agency. सक्षम अधिकारी / ऑन-लाईन प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु नामित अधिकारी / कर्मचारी का प्रमाण पत्र।	✓	-	
1.2	Copy of Survey of India Toposheet indicating boundary of forest land proposed to be diverted. सर्वे ऑफ इण्डिया टोपोशीट मानचित्र जिसमें प्रस्तावित कार्य का पूर्ण वन क्षेत्र को दर्शाया गया हो।	✓	-	
1.3	Scanned copy of the Geo-referenced map of the forest land proposed to be diverted prepared by using GPS. मैप जिसमें टोपोशीट पर प्रस्तावित क्षेत्र को जीओपीएस के साथ दिखाया गया हो।	✓	-	
1.4	Google Map of the proposed site showing legal status of the proposed land and alternative examined for the project with legend. (kml file) (pdf file) गूगल मानचित्र जिसमें प्रस्तावित कार्य का पूर्ण वितरण अंकित हो तथा वैकल्पिक समावेक्षण एवं प्रस्तावित भूमि को पूर्ण रूप से दर्शाया गया हो।	✓	-	
1.5	Note containing justification for locating the Project in forest land. (pdf file) प्रस्तावित कार्य हेतु वन भूमि के मांग का पूर्ण औचित्य को दर्शाते हुए एक विस्तृत आख्या।	✓	-	
1.6	Certificate by DM- Forest right act 2006 reg. (in MoEF revised prescribed form) (pdf file)	✓	-	

	जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त वन अधिकार अधिनियम, 2006 का प्रमाण-पत्र मय संलग्नकों के (नये प्रारूप में)।			
1.7	Survey of India Toposheet in 1:50,000 scale indicating location of the land identified for creation of Compensatory Afforestation signed by DFO (pdf file) प्रस्तावित परियोजना का 1:50,000 के पैमाने का मानचित्र जिसमें क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को दर्शाया गया हो तथा सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित हो।		✓	
1.8	Colored copy of the google map showing the land identified for CA. (kml file) signed by DFO (pdf file) रंगीन गूगल मानचित्र जिसमें क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को दर्शाया गया हो तथा सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित हो।		✓	
1.9	If non-forest or Revenue forest land is required to be provided by User Agency? A Copy of ownership proof and No Objection Certificate (pdf file) यदि प्रस्तावित कार्य हेतु गैर वन भूमि अथवा राजस्व वन भूमि की आवश्यकता हो तो भूमि धर का अनापत्ति प्रमाण-पत्र एवं भूमिधरों का भूमिधर होने का प्रमाण-पत्र।		✓	
1.10	Copy of Mou/agreement executed between the Present owner and the User Agency: (pdf file) भूमिधर एवं प्रयोक्ता एजेंसी के बीच हुए करार (PDF)		✓	
1.11	Cost benefit analyses (in more than 5.0 ha. Land diversion cases) (pdf file) विस्तृत लागत-लाभ विश्लेषण प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो)।	—	✓	

2- Additional Attachments

Status of the additional attached documents in the proposal sent online by
Executive Engineer, Provincial Division, P.W.D., Almora.

प्रस्ताव के साथ लगाये जाने वाले अतिरिक्त सूचनाओं की स्थिति

Name of the Project-

प्रस्ताव का नाम - जंगल में है। 905/2014 के अन्तर्गत जंगल क्षेत्रों के निरीक्षण
 क्षेत्र सीमाओं के अन्तर्गत है। जंगल में है। जंगल में है। जंगल में है। जंगल में है।

Sl. No.	Name of Document	Attachments status		Page No.
		yes	No	
1	2	3	4	5
2.1	A short narrative and importance of the project.. (pdf file) प्रस्ताव के बारे में विवरण एवं प्रस्ताव की औचित्य एवं आवश्यकता	✓	—	
2.2	Administrative and Financial sanction (pdf file) परियोजना हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति।	✓		
2.3	Preliminary Joint Inspection report (by user agency, forest department, revenue department etc.) (pdf file) संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट। (प्रयोक्ता एजेंसी तथा वन विभाग एवं राजस्व विभाग के साथ)	✓		
2.4	Comperative chart showing statement of both alignment or alternate site explored for the proposed project and reasons for their rejection duly countersigned by DFO. (pdf file) वैकल्पिक संरेखणों को मानचित्र पर प्रदर्शित कर उनके निरस्त किये जाने का औचित्य एवं कारण।	✓		
2.5	Certificate from the DM that no alternative suitable non-forest land is available for the project in question and the demand of the forest land for the project is barest minimum. (pdf file) जिलाधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रदत्त वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने व वन भूमि की मांग न्यूनतम होने का प्रमाण-पत्र।	✓		
2.6	Land schedule (for RF signed by DFO and civil soyam, Van panchayat and private nap land signed by DM): (pdf file) प्रभावित वन भूमि का लैंड शेड्यूल (रिजर्व फॉरेस्ट में प्रभागीय वनाधिकारी तथा राजस्व भूमि में जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित)	✓		

2.7	Category wise (RF, civil soyam, Van panchayat and private nap land, Notified forest land etc.) land length, width and area in Ha. (pdf file)	✓		
	परियोजना की लम्बाई चौड़ाई तथा कुल क्षेत्र हे० में। भूमि विभिन्न वर्ग वाद आरक्षित, निजी वन, वन पंचायत, निजी भूमि, आवि।			
2.8	Bar Chart with index (counter signed by DFO). (pdf file)	✓		
	परियोजना का भूमि उपयोग का बार-चार्ट। (प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित)			
2.9	Compensatory afforestation scheme in Civil and Soyam land (10 years) by DFO (pdf file)		✓	
	क्षतिपूरक वृक्षारोपण परियोजना सिविल भूमि पर (10 वर्ष दरें)			
2.10	Certificate Regarding suitability of indentified land for Comensatory Afforestation by DFO (pdf file)		✓	
	क्षतिपूरक वृक्षारोपण वन स्थल उपयुक्ता प्रमाण-पत्र। (प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा)			
2.11	Undertaking by the User Agency to bear the cost of compensatory afforestation duly counter signed by the DFO (pdf file)			
	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण को बहन किये जाने का प्रमाण-पत्र। (प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित)			
2.12	Road side/gap filling plantation estimate (by DFO) (pdf file)	✓		
	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रदत्त रिक्त पड़े स्थानों पर उचित वृक्षारोपण का प्रावकलन।			
2.13	Undertaking by the User Agency to bear the cost of Road side /gap filling plantation (by user agency) (pdf file)	✓		
	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर उचित वृक्षारोपण की धनराशि बहन किये जाने का प्रमाण-पत्र।			
2.14	Estimate of 100 trees plantation by DFO (less then 1.0 ha. cases) (pdf file)	✓		
	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रदत्त 100 वृक्षों के वृक्षारोपण सम्बन्धी प्रमाण-पत्र। (1 हे० से कम में लागू।)			
2.15	Details of the trees with their scientific name in RF, Civil Soyam, Van Panchayat, Private Notified land and in Nap Land should be mentioned (with valuation of the trees to be felled) (0-10 dia trees will be mentioned as saplings). (pdf file) Tree count	✓	✗	

	परियोजना से प्रभावित होने वाले वृक्षों की सूची एवं उनके वैज्ञानिक नाम। (सूची आरक्षित वन क्षेत्र, सिविल, वन पंचायत, एवं निजी भूमि दोनों अलग-अलग बनायी जानी होगी)			
2.16	Felling of Oak trees (if involves, inspection report of the concerning CF has to be provided). (pdf file) बाज प्रजाति के वृक्षों के पातन हेतु वन संरक्षक की संस्तुति का प्रमाण-पत्र	✓		
2.17	If felling of trees is not involved, certificate by DFO in this regard. (pdf file) अगर वृक्षों का पातन नहीं होना है तो प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा दिया गया प्रमाण-पत्र।	✗		N/A
2.18	Certificate of felling minimum trees during the project work. (pdf file) न्यूनतम वृक्षों के पातन किये जाने का प्रमाण-पत्र।	✓		
2.19	Muck disposal scheme (in prescribed format) (pdf file) परियोजना के निर्माण से उत्पादित मलबा निस्तारण की योजना। (निर्धारित प्रारूप में)।	✓		
2.20	Whether project area is a part of National Park or sanctuary and airtal distance of the project from National Park or sanctuary signed by DFO. (pdf file) प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य सम्बन्धी प्रमाण-पत्र।	✓		
2.21	If the project area is within 10 Km radius of N/P or Centuary, Comments/No objection certificate of CCF Wild Life has to be provided. (pdf file) यदि प्रस्तावित परियोजना किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य के 10 किमी० की परिधि में आता है तो मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक का अनापत्ति प्रमाण-पत्र		✓	
2.22	If the Project falling within the National park or Sanctuary, needs recommendation of State Wild Life Board, National Board of Wild Life (NBWL) and permission of Hon'ble Supreme Court/MoEF Govt. (pdf file) यदि प्रस्तावित परियोजना किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य के अन्तर्गत आता है तो ऐसे प्रकरणों में राज्य वन्य जीव सलाहकार बोर्ड, भारतीय वन्य जीव परिषद एवं मा० उच्चतम न्यायालय की अनुमति।		✓	
2.23	No voilation has taken place, FC Act. 1980 reg. (pdf file)	✓		

	वन संरक्षण अधिनियम के उल्लंघन न होने का प्रमाण-पत्र।			
2.24	NOC from local Gram Sabhas. (pdf file) - आम-सभा का अनापत्ति प्रमाण-पत्र।	✓		
2.25	Approved general lay out plan/alignment and estimate from competent authority with name and designation (pdf file) प्रस्तावित परियोजना का ले-आउट प्लान एवं प्रांकल्यन तथा संक्षेप अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित तथा गद्य नाम एवं पद के साथ।		✓	
2.26	Component wise details of construction work. (pdf file) अवयव के अनुसार निर्माणधीन कार्यों का विवरण। (यदि लागू हो तो)		✓	
2.27	Certificate- work has not been started reg. (pdf file) कार्य आरम्भ न किये जाने का प्रमाण-पत्र।	✓		
2.28	Geologist Report (Govt. approved Geologist). (pdf file) भू-वैज्ञानिक की आख्या।	✓		
2.29	Task Force report टास्क-फोर्स रिपोर्ट।	✓		
2.30	Item wise details of works. (pdf file) मानक शर्तों का विवरण।	✓		
2.31	Certificate by user agency for complying the condition imposed in Manak Shartain (pdf file) (pdf file) प्रस्तावक विभाग द्वारा मानक शर्तों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण-पत्र।	✓		
2.32	Certificate by user agency for complying the condition imposed in geologist report/Task force recommendation in hill areas (excluding drinking water) टास्क-फोर्स एवं भू-वैज्ञानिक की शर्तों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण-पत्र	✓		
2.33	No historical/monumental or religious place will be effected certificate reg. (by DM/DFO) (pdf file) धार्मिक/पौराणिक/ऐतिहासिक महत्व का स्थल न होने का प्रमाण-पत्र।	✓		
2.34	Undertaking regarding no animal will be effected adversely by the project. (Pdf file) वन्य जीव/वनस्पतियों को क्षति न पहुंचाये जाने का प्रमाण-पत्र।	✓		

2.35	Undertaking to provide alternative fuelwood, kerosene or LPG to labours involved in project. (Pdf file) परियोजना के निर्माण में प्रयुक्त मिट्टी का तैल एवं रसोई गैस का प्रमाण-पत्र।	✓		
2.36	Benefited villages/Families/Population Certificate. (pdf file) लाभान्वित होने वाले ग्रामों/परिवारों/जनसंख्या के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र	✓		
2.37	NPV calculation certificate as per Hon'ble Supreme court/MoEF orders by DFO (pdf file). एनपीवी की देयता का प्रमाण-पत्र।	✓		
2.38	Undertaking of payment of NPV, if Hon'ble Supreme Court increases the rates of NPV (by user agency) (pdf file) मान्य उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा एनपीवी की बढ़ी हुई धनराशि की देयता का प्रमाण-पत्र।	✓		
2.39	Cost of the forest land and lease rent certificate by DM. (pdf file) वन भूमि के लीज रेंट का प्रमाण-पत्र।	✓		
2.40	Certificate of Lease period by user agency. (pdf file) लीज अवधि का प्रमाण-पत्र।		✓	
2.41	Demarcation of land to be diverted (pdf file) आरक्षणीय भूमि के सीमांकन का प्रमाण-पत्र।			
2.42	Undertaking of user agency to bear the cost for demarcation work (pdf file) आरक्षणीय भूमि के व्यय को वहन करने हेतु प्रस्तावक विभाग द्वारा दिया गया।	✓		
2.43	Non-availability of non-forest land for compensatory afforestation certificate by Chief secretary (pdf file) क्षतिपूर्क वृक्षरोपण हेतु गैर भूमि उपलब्ध न होने का मुख्या सचिव द्वारा दिया गया प्रमाण-पत्र। (अगर लागू हो)			
2.44	Check list/Fact sheet चैक लिस्ट/फैक्ट शीट।	✓		

फैक्ट सीट

परियोजना का नाम :- माननीय मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 905/2014 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के अन्तर्गत ईडा-जौरासी मोटर मार्ग के विस्तार का नव निर्माण।(लम्बाई 4.00 किमी.)(0.9675हे0)

2- प्रभावित भूमि का वैधानिक स्थिति के अनुसार क्षेत्रफल (है. में) -

आरक्षित वनभूमि	-	-
सिविल राज्य वनभूमि	-	-
वन पंचायत वनभूमि	-	0.9675 है0
योग	-	0.9675 है0
निजी भूमि	-	2.6325 है0

3- प्रस्तावित विभाग का नाम - प्रांतीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत।

4- वन प्रभाग का नाम - अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।

5- प्रस्ताव बांडिंग किया गया है -

हाँ / नहीं

6- प्रस्ताव में विषय सूची भरी गई है -

हाँ / नहीं

7- क्या भारत सरकार के प्रारूप के भाग-1, 2 व 3 के सभी बिन्दुओं की सूचना भरी गई है -

हाँ / नहीं

8- क्या प्रारूप में बांछित स्थानों पर दिनांक व स्थान भरा गया है -

हाँ / नहीं

9- प्रस्तावित क्षेत्र की हरियाली का घनत्व दर्शाया गया है -

हाँ / नहीं

10- प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या की सूची/प्रमाण-पत्र संलग्न है -

हाँ / नहीं

11- बांज प्रजातियों के वृक्षों के प्रभावित होने की दशा में सम्बन्धित वन संरक्षक का स्थलीय निरीक्षण प्रमाण-पत्र संलग्न है - बांज वृक्ष प्रभावित नहीं होते हैं।

हाँ / नहीं

12- प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या यदि अत्यधिक है तो प्रस्तावक विभाग द्वारा उन्हें कम करने का क्या प्रयास किया गया है -

हाँ / नहीं

13- समरेखण में आने वाले कुल वृक्षों की संख्या व वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों की सूची संलग्न है -

हाँ / नहीं

14- क्या वृक्षों की संख्या के अनुसार हरियाली का घनत्व सही है -

हाँ / नहीं

15- क्या क्षतिपूरक वृक्षारोपण की विस्तृत योजना मय स्थल उपयुक्तता प्रमाण-पत्र सहित प्रस्ताव में संलग्न है -

हाँ / नहीं

16- क्या मानचित्र में क्षतिपूरक स्थल को दर्शाया गया है -

हाँ / नहीं

17- प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर/परियोजना के आसपास रिक्त पड़े स्थानों की वृक्षारोपण योजना संलग्न है -

हाँ / नहीं

18- क्या परियोजना क्षेत्र वन्य जीवों के संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है -

हाँ / नहीं

19- प्रस्तावित क्षेत्र हाथी कोरीडोर का हिस्सा है -

हाँ / नहीं

यदि हाँ तो मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक का प्रमाण-पत्र संलग्न है-

हाँ / नहीं

कमश: पेज 2 पर

- 20- क्या प्रस्ताव का क्षेत्रफल सभी प्रपत्रों में सही भरा गया है - हाँ / नहीं
- 21- प्रस्तावित मार्ग नया प्रस्तावित है अथवा पूर्व निर्मित मार्ग से आगे निर्माण किया जाना है -
(यदि पूर्व निर्मित मार्ग से आगे बनाया जाना है तो पूर्व में जारी भारत सरकार की स्वीकृति की प्रति संलग्न करें) हाँ / नहीं
- 22- क्या मानचित्र में प्रभावित प्रकार की भूमि को अलग-अलग रंगों से भरा गया है - हाँ / नहीं
- 23- यदि सड़क का आरम्भिक बिन्दु किसी मार्ग से निकलता है तो उस मार्ग को मानचित्र पर दर्शाया गया है - हाँ / नहीं
- 24- क्या प्रस्तावित परियोजना में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन हुआ है - हाँ / नहीं
- 25- यदि उल्लंघन हुआ है तो पूर्ण स्थिति वर्णित करते हुये दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम एवं उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण संलग्न किया जाय। हाँ / नहीं **N/A**
- 26- सड़क निर्माण हेतु तलाशी गई अन्य सम्भावनायें/वैकल्पिक समरेखण मानचित्र पर दर्शाये गये हैं - हाँ / नहीं
- 27- वैकल्पिक समरेखणों को निरस्त करने का कारण (एक विस्तृत नोट संलग्न किया जाय) हाँ / नहीं
- 28- लागत लाभ विश्लेषण मात्रात्मक रूप में प्रस्तुत है (5 है. से अधिक के प्रकरणों में लागू होगा) हाँ / नहीं **N/A**
- 29- मानचित्र व बार चार्ट में एकरूपता है - हाँ / नहीं
- 30- मलवे के निस्तारण की योजना मय मानचित्र सहित संलग्न है -
अथवा
मलवे के निस्तारण के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र संलग्न है - हाँ / नहीं
- 31- राज्य सरकार द्वारा लगाई जाने वाली शर्तों का प्रमाण-पत्र प्रस्ताव में संलग्न है - हाँ / नहीं
- 32- क्या प्रस्ताव में संलग्न प्रमाण-पत्रों की फोटो प्रतियां मूल में संलग्न है
यदि छायाप्रतियां संलग्न की गई हैं तो क्या वे सत्यापित हैं - हाँ / नहीं
- 33- यदि वनभूमि लीज पर दी जानी है तो लीज अवधि का प्रमाण-पत्र संलग्न है - हाँ / नहीं **N/A**
- 34- वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति संलग्न है - हाँ / नहीं
- 35- क्या प्रस्ताव के सभी प्रमाण-पत्रों में परियोजना का नाम अंकित है - हाँ / नहीं
- 36- क्या चैक लिस्ट के अनुसार सभी प्रमाण-पत्र संलग्न हैं - हाँ / नहीं

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्ताव उक्त फ़ैट शीट एवं चैक लिस्ट के अनुसार गठित किया गया है व समस्त प्रमाण-पत्र/सूचनायें संलग्न कर दी गई हैं।


अधिसासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत


प्रधानीय सहायिका,
प्रधानीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा
अल्मोड़ा

परिशिष्ट
(देखिय नियम-6)
राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की
धारा-2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमति लेने का फार्म

भाग-1
(प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिए)

1	परियोजना विवरण				
A.	अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव/परियोजना/स्कीम का विवरण –	माननीय मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 905/2014 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के अन्तर्गत ईडा-जौरासी मोटर मार्ग के विस्तार का नव निर्माण।(लम्बाई 4.00 किमी.)(0.9675हे0)			
B.	1.50.000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आसपास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप/डिजिटल मैप	संलग्न है।			
C.	परियोजना की लागत–	रु. 18.13 लाख।			
D.	वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य–	स्थानीय जनता को यातायात की सुविधा हेतु।			
E.	लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जाने के लिए)–	लागू नहीं।			
F.	रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना हैं–	निर्माण कार्य से स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा।			
2	कुल आपेक्षित भूमि उद्देश्यवार विवरण–	आरक्षित वनभूमि	राज्य वन भूमि	वन पंचायत भूमि	कुल भूमि
		–	–	0.9675 है0	0.9675 है0
3	परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण यदि कोई हैं–	आवश्यकता नहीं।			
A.	परिवारों की संख्या–	आवश्यकता नहीं।			
B.	अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या–	आवश्यकता नहीं।			
C.	पुर्नवास योजना (संलग्न किये जाने के लिए)–	आवश्यकता नहीं।			
4	क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत मंजूरी आवश्यक हैं। (हाँ/नहीं)	नहीं।			
5	प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और/या दण्डस्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गयी योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की बचनबद्धता (वचनबद्धता संलग्न की जाये)	सभी प्रमाण-पत्र प्रस्ताव पर संलग्न है। वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न है।			
6	निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों का ब्यौरा।	संलग्न है।			

दिनांक- 25-7-2016

स्थान- रानीखेत


 (कुन्दन लाल वर्मा)
 अधिशासी अभियन्ता,
 प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
 रानीखेत